फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमू (जिला–जयपुर ग्रामीण)

रामनारायण/ बनाम राम कल्याण वगैरह

मुकदमा नम्बर :– 56/2019 — दावा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	7/10/24	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17/10/24 को पेश हो।
	17/10/24	व. वादी उपस्थित अभिभाषक वादी की बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि वादी का दावा प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री चस्पा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:52:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूं, जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी :– कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–56/2019

उनवान

1. रामनारायण पुत्र स्व. श्री भीवाराम जाति अहीर, निवासी ग्राम देवथला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. नायब तहसीलदार उपतहसील खेजरोली, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत इन्द्राज दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 89बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–17.10.2024

वादी द्वारा वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरुस्ती का इस आशय का पेश किया गया है कि वादी वाके ग्राम देवथला, पटवार हल्का निवाणा तहसील चौमूं, जिला जयपुर के रहने वाले काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं, जोकि काश्त कर अपना जीवन यापन करते हैं। वाके ग्राम देवथला, पटवार हल्का निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित गत आराजी खसरा नं0 59 के हाल आराजी खसरा नं0 213 व 214 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.86 है0, भूमि वादपत्र में विवादग्रस्त है। उक्त खसरा नम्बर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रकबे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई लेकिन गत खसरा नम्बर के राजस्व नक्शा में उत्तर–पश्चिम कोने के हिस्से को हाल नम्बरों के बने नक्शे में गत नक्शे अनुसार नहीं बनाकर दक्षिण–पूर्व हिस्से के कोने में बना दिया गया जिसमें राजस्व नक्शें में गत के मुकाबले हाल स्थिति में परिवर्तन हो गया जबकि रकबा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ हैं वादी मौके पर गत नक्शे अनुसार काबिज काश्त है। दौराने भूप्रबन्ध मौके स्थिति गत नक्शे अनुसार खातेदारी भूमि का जैसा नक्शा था उसी प्रकार से नया नक्शा बनाना चाहिये था उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए था परन्तु दौराने भूप्रबन्ध बिना किसी आधार के रिकार्ड ऑफ राइट्स नक्शा ट्रेस में परिवर्तन कर दिया गया और उक्त परिवर्तन नक्शे में स्थिर रहने से वादी के कब्जे काश्त पर विपरित प्रभाव पडेगा और स्थिति में भी परिवर्तन आ जायेगा इसलिए वादी को यह आवश्यकता है कि नक्शा ट्रेस में गत के मुकाबले की गई तब्दीली को श्रीमान न्यायालय से दुरुस्त करा...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:52:02 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार चौमू से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई तहसीलदार चौमू से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि प्रकरण में यह कि राजस्व ग्राम देवथला के मुताबिक रिकार्ड जमा

Scanned with OKEN Scanner

सम्वत् 2073–76 के वर्तमान खाता सख्या 282 खसरा नं0 213 रकबा 0.2000 है0 खसरा नं0 214 रकबा 0.66 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.86 है0 खातेदार रामनारायण पुत्र भीवाराम हिस्सा पुर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं आराजी खसरा नं0 213 व 214 के गत खसरा नं0 59 हैं अर्थात् भू–प्रबंध विभाग मिलान क्षैत्रफल अनुसार गत खसरा नं0 यथा 59 रकबा 0.20 है0 59 मि रकबा 0.66 है0 से नवीन वर्तमान खसरा नं0 213 रकबा 0.20 है0 खसरा 214 रकबा 0.66 है0 बने है एवं मुताबिक राजस्व रिकार्ड वर्तमान नक्शा गीत व गत भू–प्रबन्ध विभाग की नक्शा प्रति का आपस में मिलान किया गया जिसके अनुसार गत खसरा नं0 59 से बने हाल खसरा नं0 213 व 214 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रकबा में किसी प्रकार की कोई कमी नही हैं परन्तु गत खसरा नम्बर 59 के राजस्व नक्शा में उत्तर पश्चिम कोने के हिस्से को हाल खसरा नम्बर 213 व 214 के राजस्व नक्शा में गत नक्शा अनुसार नही बना कर दक्षिणी–पूर्व हिस्से के कोने में आराजी खसरा नं0 214 में बना दिया जबकि रकबा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तथा वादी मौके पर गत खसरा नं0 59 अनुसार काबिज है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बहस वादी अधिवक्ता की सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया गया है कि वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत दुरूस्ती कर डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 213 व 214 के राजस्व नक्शे में दर्शाये दक्षिण–पूर्व कोने को गत नक्शे में दर्शित अनुसार कायम करते हुए राजस्व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। वाद के निस्तारण के लिए न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2023 का तहसीलदार चौमू से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। जो दिनांक 31.01.2024 को न्यायालय में पेश हुई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि वादी के हिस्सा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही किया गया तथा मौके पर वादी के हिस्सा अनुसार ही भूमि पर काबिज है। ऐसे में वादी के खसरा नम्बर 213 व 214 के रकबे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही हुआ है तथा वादी के द्वारा विवादित आराजीयात के लगवा पडोसी प्रभावीत खातेदार काश्तकारों को पक्षकार नही बनाया गया है। जबकि वादी mastar of sute होने से वादी का दायित्व था कि प्रभावीत पक्षकारो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्य नजर रखते हुए प्रत्येक प्रभावित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है ऐसे में वादी का वाद पोषणीय (maintainable) नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद पोषणीय नही होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:52:02 IST
Reason: SelfAttested

(सहायक कलक्टर
का0ट्रै0 / मुख्यालय)
चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– कनक जैन (R.A.S.)

उनवान

1. रामनारायण पुत्र स्व. श्री भीवाराम जाति अहीर, निवासी ग्राम देवथला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. नायब तहसीलदार उपतहसील खेजरोली, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत इन्द्राज दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 89बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–56/2021

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण एवं प्रतिवादी मिनजामिन मुददई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद पोषणीय नही होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 17.10.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:52:02 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

दस्तखत .....

ओहदा.....

Scanned with OKEN Scanner

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	3	जोड़	0

mnj

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:52:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner